

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S.B. Civil First Appeal No.487/2008

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री बिहारी लाल गुप्ता।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री अजीत मालू।

:: आदेश :: 21.12.2018

प्रकरण की शीघ्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 36757/18 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गये तर्कों की रोशनी में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित प्रकरणों की श्रेणी में वरियता के आधार न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति